



राजस्थान सरकार



कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली

Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in

Phone No. 07464-297007

क्रमांक: एफ () 2023-24/एफसीए/उवसंआरटीआर-11/2166 दिनांक :- 09/04/2025
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।

विषय :- Laying underground OFC along road from Mandrayal to Ghari Ka Gaon to Kotalpur from Lat/Long 26.30437 / 77.231 to 26.01800/ 76.69551 for length of 72.518 Kms & area 3.263 ha in & outside of forest area in Karauli District. Total Length & area applied in Forest are 16.729 KM & 0.753 ha respectively. For Forest clearance. for the forest land diversion of 0.753 ha. area. Proposal No : FP/RJ/OFC/ 150679/2021.

संदर्भ :- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 05. 07.2024 एवं आप श्रीमान् के कार्यालय का पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 8974558 दिनांक 16.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत परिवेष पोर्टल पर मण्डरायल से कुतलपुर वाया गढी का गाँव ओ एफ सी लाइन पारिषण किये जाने हेतु 0.753 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर संदर्भित पत्रों से संबंधित आक्षेपों की पूर्ति करते हुए भाग-11 की पूर्ति ऑनलाईन कर दी गई है जो निम्नानुसार है -

1. आदेशानुसार रिकमंडेशन में संशोधन कर सूस्पष्ट रिपोर्ट संलग्न है तथा साईट निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के भाग-11 पर अपलोड कर प्रति संलग्न है। प्रस्ताव के भाग-11 पर एक बार रिपोर्ट अपलोड हो जाने के बाद रिकमंडेशन में संशोधन नोडल अधिकारी के स्तर पर ही किया जा सकता है। अतः संशोधित रिकमंडेशन रिपोर्ट संलग्न कर निवेदन है कि अस्पष्ट रिकमंडेशन को हटाकर संलग्न संशोधित रिकमंडेशन रिपोर्ट प्रस्ताव के भाग-11 पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
2. प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित वन खण्डों के नोटिफिकेशन, कैलादेवी/राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य तथा रणथम्भौर टाईगर रिजर्व व धोलपुर टाईगर रिजर्व के नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्ताव के भाग-11 में अपलोड करदी गई है।
3. परियोजना से प्रभावित होने वाले 126 पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु 1260 पौधों की, हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, प्रस्ताव के भाग-11 में अपलोड करदी गई है।
4. संशोधित सूस्पष्ट प्रमाणित डीजीपीएस मेप तथा जीटी शीट मेप अपलोड कर दिये गये है।
5. परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी 126 पेड़ काटे जायेंगे।
6. नेट प्रजेन्ट वेल्यू गणना का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के भाग-11 में अपलोड कर दिया गया है।
7. प्रस्ताव के भाग-11 के बिन्दू बी-2.3 पर ग्राम वाईज क्षेत्रफल, प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल से मिलान खा रहा है।
8. यूजर एजेन्सी द्वारा केएमएल में प्रस्तावित अपेक्षित संशोधन कर दिये गये है।

भवदीय

(पीयूष कुमार शर्मा)

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

Deputy Conservator of Forest and Deputy Field Director, RTP-II, Karauli

Tele-Fax-07464-297007 E-mail-dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in

Recommendation of DCF

(For the forest clearance)


Full Title of the Project: Laying underground OFC along road from Mandrayal to Ghari Ka Gaon to Kutalpur from Lat/Long 26.30437 / 77.231 to 26.01800/76.69551 for length of 72.518 Kms & area 3.263 ha in & outside of forest area in Karauli District. Total Length & area applied in Forest are 16.729 KM & 0.753 ha. respectively. For forest clearance. For the forest land diversion of 0.753 ha.

File No. : FP/RJ/OFC/150679/2021.

In the Karauli district the proposed site for laying of OFC which is notified Keladevi Sanctuary & National Chambal ghariyal Sanctuary together with part of C.T.H. of RTR & DKTR, as per notified forest blocks no road exists in the records. Hence user agency has submitted proposal for diversion under FCA 1980. However, if Forest clearance is issued, then the following conditions must be imposed:-

1. The user agency will maintain the same condition of the work place which was there prior to initiation of the work.
2. No camping of labour inside forest/ sanctuary would be allowed.
3. No work will be carried out in the night.
4. Silence and discipline of the forest area will be maintained by the labour force since the area has wild living.
5. Make maximum possibilities to avoid the cutting of the trees.
6. There shouldn't be any diversion of the side of the work and work should be done as per the permission given.
7. No material i.e. stone / sand / wood etc. shall be collected by the user agency from the forest land/sanctuary area.
8. The user agency will have to submit/obtain necessary NOC/sanctions from the concern agency/department prior to execution of the work.
9. In future prior permission will be taken for maintenance work.
10. The user agency have to deposit amount for NPV and CA as per prevailing rates.

Place: Karauli
Date: 20.03.2025

(Signature) 
Name: Piyush Kumar Sharma
Designation: DCF&Dy.FD RTP II
Karauli.